न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 21/2020

निर्मला देवी पुत्री उद्दालाल पत्नि हंसराज गुर्जर निवासी गुर्जरों की ढाणी गुंजा, हाल आबाद ग्राम कलमण्डा, तहसील मालपुरा जिला–टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 26–8–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह को दिनांक 18–2–2020 आवेदन पत्र दिनांक 14–11–2019 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1 हंसराज गुर्जर पुत्र रंगलाल उम्र 26 जाति गुर्जरों की ढाणी, गुंजा, तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल पद राजस्व पटवारी हाल ड्यूटी पटवार मण्डल ग्राम पंचायत मेहरू तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक राज. की सेवा पुस्तिका में से निम्न दस्तावेजी एवं लिखित सूचनायें चाही गई है।

1.सेवा पुस्तिका के मूल प्रार्थना पत्र की 2–2 प्रतियों में।
2.सेवा पुस्तिका में प्रस्तुत स्टाम्प शपथ पत्र (स्टाम्प) की 2–2 प्रतियों में।
3.प्रतिमाह के वेतन की (पे स्लीप) लिखित सूचना 2–2 प्रतियों में।

अपीलान्ट को सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह से अपीलान्ट को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह ने उनके पत्र कमांक 4671 दिनांक 11–8–2020 से अवगत कराया कि वांछित सूचना श्री हंसराज गुर्जर पटवारी की निजि सूचना होने तथा उनके द्वारा दिनांक 5–3–2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:56:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दिये जाने के कारण आवेदक को सूचना नहीं दी गई। तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह द्वारा पत्र कमांक 4008 दिनांक 15–6–2020 से आवेदक को सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा चाही जा रही सूचना (Third Party Information) के अन्तर्गत आती है जिसके कारण आपको सूचना नहीं दी जा सकती। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:56:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner